सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 04, मंगलवार, *शाके* 1944-जनवरी 24, 2023

Magha 04, Tuesday , Saka 1944- January 24, 2023

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 18, 2023

संख्या 1(47)श्रनि/79- पार्ट :-राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.1(47)श्रनि/79/पार्ट दिनांक 18.01.2023 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एंव धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 मे उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके सामने कालम स. 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण एंव श्रम न्यायालय हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकरण एवं न्यायालय का नाम
(01)	(02)	(03)
1	श्री कृष्ण स्वरूप चालाना स्पेशल जज एनडीपीएस केसेज कोर्ट, जयपुर, मेट्रोपोलिटन-1	न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, बीकानेर

राज्यपाल के आदेश से,
नरेश गोकलानी,
शासन उप सचिव।